चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 24.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 24.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/ब्रिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी गनीवा श्री यदुवीर सिंह व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र राममूरत पटेल निवासी देहरुच थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 20 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1, उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह प्रभारी चौकी गनीवा थाना राजापुर

2, मुख्य आरक्षी वीरेंद्र कुमार

3, आरक्षी रामकेश कुशवाहा

4, आरक्षी प्रमोद कुमार

(4). आज दिनाँक-24.12.2024 को राघव प्रेक्षागार पुलिस कार्यालय सोनेपुर में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी कार्यालय/लाइन्स श्री अरविन्द वर्मा की अध्यक्षता में SJPU (विशेष किशोर पुलिस इकाई)/ CWC (बाल कल्याण समिति)/AHTU (एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट) की मासिक गोष्ठी आयोजित की गयी । इस गोष्ठी समस्त थानों के पुलिस बाल कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि विधि का उल्लंघन्न करने वाले बालक तथा पीड़ित की जन्मतिथि का सत्यापन आधार कार्ड से न करके विद्यालय के अंक-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, नगर निकाय, नगर पालिका या मेडिकल परीक्षण कराकर किया जाए। बाल कल्याण इकाई को बताया गया कि यदि कोई नाबालिक पीड़ित/पीड़िता है और उसके साथ कोई वयस्क व्यक्ति नहीं है तो ऐसी स्थिति में बाल कल्याण इकाई के सदस्य द्वारा स्वयं वादी बनकर अभियोग पंजीकृत कराया जाए। पीड़िता का तत्काल समय सीमा के अन्दर विधिक के अनुरुप मेडिकल परीक्षण कराया जाये तथा आर्थित रुप से कमजोर पीड़िताओं को शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिलायें । SJPU(विशेष किशोर पुलिस इकाई), CWC (बाल कल्याण इकाई) के कार्यो एवं एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग(AHTU) के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी । बाल विवाह पर रोक लगाया जाये तथा जनपदीय गठित टीम द्वारा भ्रमण कर बालकों/बालिकाओं से कराये जा रहे श्रम को प्रतिबंधित कराया जाये और जिनके द्वारा श्रम कराया जा रहा है उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करायी जाये ।

इस गोष्ठी मे बताया गया कि विधि का उल्लंघन्न करने वाले बालकों/बालिकाओं से अपराधी के तरह व्यवहार न किया जाये, गोष्ठी में उपस्थित सभी बाल कल्याण अधिकारी एवं सदस्यों को बताया गया कि गुमशुदा बच्चों के बरामद होने के बाद उन्हे CWC के सुपुर्द करें, CWC बच्चे के परिजनों की पहचान कर उनके परिजनों के सुपुर्द करेगी । यदि कोई नाबालिक आत्महत्या का प्रयास करता है तो पुलिस ऐसे नाबालिक बच्चो को CWC के सुपुर्द करें एवं CWC ऐसे बच्चों की काउंसलिंग के पश्चात जानकारी करें कि उनके द्वारा ऐसा प्रयास क्यों किया गया है। इसके बाद बाद ही परिजनों के सुपुर्द किया जाये ।

इस गोष्ठी में जिला प्रोवेशन अधिकारी श्री सौरभ सिंह,श्रम प्रवर्तन अधिकारी महेन्द्र शुक्ला,बाल कल्याण समस्य राकेश मामुर,श्री राजेश कुमार दुबे, प्रभारी एच0टी0यू0 निरीक्षक श्री शिवमूरत सिंह, उ0नि0श्री सदानन्द सिंह एवं जनपद के बाल संरक्षण से सम्बन्धित अन्य विभागों के सदस्य व अधिकारी/कर्मचारीगण तथा समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी उपस्थित रहे ।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय के मार्गदर्शन में वरि0 उ0नि0 श्री कृपानंदन शर्मा व उनकी टीम द्वारा नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 06.11.2024 को थाना मानिकपुर अन्तर्गत ग्राम निवासी वादी द्वारा थाना पर सूचना दी कि उनकी नाबालिक पुत्री को रवि उर्फ सुमित कुमार पुत्र आनंद गुप्ता बहला फुसलाकर ले गया। इस सम्बन्ध में थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 205/2024 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। आज दिनाँक 24.12.2024 को अभियुक्त रवि उर्फ सुमित कुमार उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। पीडिया की बयान अन्तर्गत 183 बीएनएसएस व मेडिकल परीक्षण के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 बीएनएस व 5/6 पॉक्सो एक्ट,3(2)5 एससीएसटी एक्ट की बढ़ोतरी गयी गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री कृपानंदन शर्मा थाना मानिकपुर

2.आरक्षी भास्कर शुक्ला

(6). कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा फीता काटकर नव सृजित पुलिस चौकी हनुमानगंज,थाना रैपुरा का उद्घाटन किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा कहा गया कि थाना रैपुरा अंतर्गत दूरस्थ ग्राम जो अब चौकी क्षेत्र में पड़ेगें वहां पर निवास करने वाले ग्रामीण अब आसानी से अपनी शिकायत के सम्बन्ध में पुलिस को सूचना दे पायेगें साथ ही पुलिस के भी घटनास्थल पर पहुंचने वाले समय में कमी आएगी।
इस क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता आम जनमानस में सुरक्षा का भाव पैदा होगा। इस दौरान क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद,क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जय करन सिंह,क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु श्री फहद अली ,प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्यामप्रताप पटेल,पीआरओ प्रवीण सिंह एवं चौकी प्रभारी हनुमानगंज उ0नि श्री मु0 जुबैर खां सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(7). मा0 न्यायालय सिविल जज(जू0डि0)/जे0एम0 मऊ चित्रकूट के आदेश दिनांक 13.12.2024 के अनुपालन में के अनुपालन में आज दिनांक 24.12.2024 को आबकारी अधिनियम के अभियोगो को श्रीमान् क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद, सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह, फौजदारी लिपिक श्री मणिकान्त न्यायालय जे0एम0 मऊ जनपद चित्रकूट, जिला आबकारी अधिकारी, थानाध्यक्ष बरगढ श्री पंकज तिवारी व प्रधान लेखक मुख्य आरक्षी दिनेश पटेल की उपस्थित में थाना बरगढ परिसर में गढ्ढा खोदवाकर 01 लगायत 211 मुकदमा आबकारी अधिनियम के पंचनामा माल समिति के समक्ष नष्ट कराकर गढ्ढे में दबाकर विनिष्टकरण कराया गया।

(8). आज दिनांक 24.12.2024 को श्री भोला प्रसाद (ग्राम प्रहरी ग्राम कलचिहा) पुत्र स्व0 रामआसरे आरख निवासी ग्राम कलचिहा थाना बरगढ जनपद चित्रकूट मो0नं0 8815125047 द्वारा सूचना दी गयी कि आज दिनांक 24.12.2024 को लगभग सुबह 10.00 बजे देखा गया कि एक अज्ञात व्यक्ति उम्र अज्ञात की हत्या करके पत्थरों व घास फूस से परानू बाबा के जंगल में गजरी गढ़वा जाने वाली रास्ता बहद ग्राम कलचिहा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट के पास लाश को छिपा दिया गया है । उपरोक्त ग्राम प्रहरी श्री भोला द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 108/24 धारा 103(1)/238(A) बीएनएस थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट बनाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया ।पंचायतनामा व आवश्यक कार्यवाही की जा रही है तथा मौके पर साक्ष्य संकलित करने हेतु फील्ड यूनिट टीम /डाग स्क्वायड़ उपस्थित है। परन्तु अज्ञात शव का अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाया है।

अतः अनुरोध है कि नीचे फोटो में अंकित शव का शिनाख्त होने पर नीचे अंकित मो0नं0 पर सूचना देने की कृपा करें।

यामीन अहमद
(क्षेत्राधिकारी मऊ)
जनपद चित्रकूट
मो0न0 9454401357

(पंकज तिवारी)
थानाध्यक्ष
थाना बरगढ़, चित्रकूट
मो0न0 9305101105 ,9454403204